न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 161/2022
आरसीएमएस नं. 2022/161

अब्दुल सतार पुत्र सदु खां जाति व्यापारी निवासी वार्ड नं. 13 व्यापारियों को मोहल्ला भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसील (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्ध आदेश 02.05.2022 प्र0 सं0 6/2021
अनवान अब्दुल सतार बनाम सरकार
द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा

उपस्थित:–
श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक:– 23.6.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी भादरा में राजस्थान भू– राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 में अपनी कृषि भूमि चक 7 बी.ए.डी. के खाता संख्या 6/3 मु. नं. 17 किला नं. 6/1 की 0.190 है0, किला नं. 15 की 0.253 है0, किला नं. 16 की 0.253 है0 कुल 0.296 है0 (6960 वर्गमीटर) प्रयोजनार्थ संपरितर्वत करवाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से निर्धारित 23 बिन्दुओं की रिपोर्ट मंगवाई तहसीलदार भादरा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 06.04.2022 के द्वारा भूमि को रूपान्तरण करने की सिफारिश की। तहसीलदार भादरा ने पुनः पालना रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 को भेजी जिसमें पूर्व रिपोर्ट में सहवन से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि नगरपालिका की पैराफेरी में न होने की रिपोर्ट अंकित थी जबकि उक्त रकबा चक 7 बी.एच.डी. नगरपालिका भादरा की पैराफेरी में में आता है इसलिए संपरिवर्तन न किया जावे। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.12.2010 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा –3 की उपधारा–1 के अनतर्गत चक– 7 बीएचडी को नगरीय क्षेत्र अधि सूचित होना मानकर प्रार्थी का भू रूपान्तरण आवेदन पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत है। विचारण न्यायलय ने अपीलाण्ट की भूमि को नगर पालिका भादरा की पैराफेरी क्षेत्र में होना मानकर खारिज किया है जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट द्वारा भादरा के द्वारा जारी नगरपालिका भादरा के पैराफेरी नक्शे में चक 7 बीएचडी के मु. नं. 16, 17, 18, 37 व 38 को पैराफेरी क्षेत्र से बाहर रखा गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्धारण की चक 7 बीएचडी. का क्षेत्र पैराफेरी में आता है केवल मात्र किसी चक का आंशिक हिस्सा पैराफेरी क्षेत्र में आने से सम्पूर्ण चक का पेराफेरी क्षेत्र में नही माना जासकता। मु. नं. 17 नगरपालिका भादरा के पैराफेरी क्षेत्र में नहीं आता है। नगरपालिका भादरा का अनापति प्रमाण–पत्र दिनांक 01.12.2021 में स्पष्ट रूप से संपरिवर्तन करने की सिफारिश की है व ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने प्रमाण–पत्र दिनांक 06.09.2021 के द्वारा भी संपरितर्वन की सिफारिश की है। जिनको अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। यह तथ्य साबित है कि प्रश्नगत भूमि पर ईंट भट्टा का कार्यालय, तुलाई हेतु धर्मकान्टा, व मजदूरों के रहने के लिए मकान एवं ईंट भट्टा एवं चिमनी का निर्माण कर रखा है। अपीलांट बिना अनुमति के

राजस्व अपील अधिकारी, राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

भूमि संपरितर्वन से पूर्व भूमि पर निर्माण कार्य के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत 5 गुणा राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। राजस्थान भू राजस्व रूपान्तरण अधिनियम 1992 में अधिसूचना संख्या एफ–8(6) राजस्व / 92 / भाग / 14 दिनांक 02.04.2007 के द्वारा नियम 1992 को विलोपित करके नये नियम राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र मं कृषि भूमि अकृषि प्रयोजन के लिए संपरितर्वन) नियम 2007 जारी किये गये हैं उक्त संशाधित नियम लागू होने के बाद विलोपित नियमों के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट, मौका स्थिति व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को नगरपालिका भादरा का पैराफेरी के होने के आधार पर खारिज किया है। अपील में पस्तुत नक्शा कस्बा भादरा (नगरपालिका पैरा फेरी बेल्ट) के अनुसार चक 7 बीएचडी नगरपालिका पैराफेरी में स्थित है। तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 में भी भूमि पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण तहसीलदार द्वारा संपरिवर्तन की सिफारिश नहीं की है। विचारण न्यायालय ने संपरिवर्तन के प्रार्थना–पत्र को खारिज करके अपीलाण्ट को नियमानुसार नगरपालिका कार्यालय में संपरिवर्तन प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में बिना परिवर्तन करवाये गैर कृषि में उपयोग न करने के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश भी पारित किया है। विचारण न्यायालय का यह निर्धारण उचित नहीं है। यदि अपीलाण्ट ने बिना संपरिवर्तन करवाये कृषि भूमि को अकृषि के रूप में उपयोग ले रहा है तो संपरिवर्तन के समय उक्त तथ्य को देखा जा सकता है। नगरपालिका क्षेत्र में भू– रूपान्तरण हेतु नगरपालिका में आवेदन करके नियमानुसार संपरिवर्तन किया

राजस्व अपील अधिकारी, राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता है इसलिए अपील स्वीकार योग्य बनती है व अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

7. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी (रजास्व) भादरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2020 अपास्त किया जाता है। अपीलांट अपनी कृषि भूमि चक 7 बीचएचडी तादादी .696 है0 भूमि को नगरपालिका भादरा में संपरिर्वतन करवाने हेतु स्वतंत्र है। यदि अपीलाण्ट नगरपालिका भादरा में संपरिवर्तन करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र एक माह में प्रस्तुत कर देता है तो प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक उपरोक्त भूमि में चल रहे ईंट भट्टा में हस्तक्षेप न करें व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

23/6/22

(करतार सिह पूनियां आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

02-05-2022
27/6/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested